निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 कार्तिक 1938 (श0)

(सं0 पटना 956) पटना, सोमवार, 31 अक्तूबर 2016

लधु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 अक्तूबर 2016

सं0 ल0ज0सं0/नि0प्र0/आरोप-48/2015-5175—श्री राम गोपाल राउत (4482), तत्कालीन सहायक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा के विरूद्ध बाढ़ निरोध कार्य में बी0ए0 वायर क्रेट बुनाई विशिष्टि के विपरीत डबल नॉट के स्थान पर सिंगल नॉट का क्रेट तैयार कर कम वजन वाले क्रेट का उपयोग करने, ब्रिक क्रेटिंग कार्य में विशिष्टि के विपरीत कम गुणवत्ता वाले 10-15 प्रतिशत ईंट के टुकड़े का उपयोग करने तथा अतिरेक भुगतान कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने संबंधी आरोपों के आधार पर जल संसाधन विभाग के पत्रांक-2054 दिनांक 11.09.15 के माध्यम से प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र-'क' के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-456 दिनांक 25.01.16 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी-सह-मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा उनके पत्रांक-709 दिनांक 30.04.16 द्वारा समर्पित अधिगम में सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया ।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम के समीक्षोपरांत पाया गया कि 48.571 कि0मी0 पर armouring earthen spur कार्य में डबल की जगह सिंगल नॉट पाया गया है। इस प्रकार निश्चित रूप से विशिष्टि के विपरीत कार्य किया गया है । ब्रिक क्रेटिंग कार्य में विशिष्टि के विपरीत 10 से 15 प्रतिशत तक ईंट के टुकड़ों के उपयोग के संबंध में उड़नदस्ता के प्रतिवेदन को आरोपित पदाधिकारी ने इस आधार पर नकारा है कि उनसे विभाग द्वारा कारण पृच्छा नहीं की गई । बचाव में यह भी कहा गया कि उड़नदस्ता ने मात्र दो स्थलों पर रामपुर कंठ एवं वेलना इनरवा में कराये गये ब्रिक क्रेटिंग के निरीक्षण के आधार पर आरोप लगाया है जो सही नहीं है । उड़नदस्ता किसी भी योजना का टेस्ट चेक कर ही प्रतिवेदन समर्पित करता है । अगर इसने दो जगहों पर ब्रिक क्रेटिंग सही नहीं पाया है तो बचाव का यह आधार संतोषजनक नहीं हो सकता है कि अन्य जगह बिक्र क्रेटिंग विशिष्टि के अनुरूप थे । इस प्रकार अगर कुछ स्थलों पर भी विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराये गये और विशिष्टि के अनुरूप भुगतान संवेदक को कर दिया गया तो निश्चित रूप से सरकार को वित्तीय क्षति हुई है। यह आरोपित पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है ।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत अपने दायित्वों के निर्वहन नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम गोपाल राउत (4482), तत्कालीन सहायक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 सह-पठित नियम 14 के तहत निन्दन का दंड देने का निर्णय लिया गया है ।

अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम गोपाल राउत (4482), तत्कालीन सहायक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 सह-पठित नियम 14 के तहत निम्नलिखित दंड संसूचित किया जाता हैः-

1. निन्दन वर्ष-2008-09 ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गोपाल कृष्ण परमहंस,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 956-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in